झारखण्ड विधान-सभा

बंगाल, आगरा तथा आसाम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

बंगाल, आगरा तथा आसाम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।

2. अधिनियम, 12, 1887 की धारा-3 का संशोधन ।

3. अधिनियम, 12, 1887 की विभिन्न धाराओं में शब्द "जिला न्यायाधीश" का प्रतिस्थापन ।

4. अधिनियम, 12, 1887 की विभिन्न धाराओं में शब्द "अपर जिला न्यायाधीश" का प्रतिस्थापन ।

5. अधिनियम, 12, 1887 की विभिन्न धाराओं में शब्द "अवर न्यायाधीश" का प्रतिस्थापन ।

6. अधिनियम, 12, 1887 की विभिन्न धाराओं में शब्द "मुसिंफ" का प्रतिस्थापन ।

बंगाल, आगरा तथा आसाम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में इसके अनुप्रयोग के लिए बंगाल, आगरा तथा आसाम, व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अंठावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-**
   (1) यह अधिनियम बंगाल, आगरा तथा आसाम, व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2007 कहा जा सकेगा ।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **अधिनियम-12, 1887 की धारा-3 का संशोधन ।** - बंगाल, आगरा तथा आसाम सिविल कोर्टस, एक्ट, 1887 (एक्ट-12, 1887) (आगे उक्त अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट) की धारा-3 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. न्यायालयों के वर्ग-1 इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय के निम्नलिखित वर्ग होंगे ।
   (1) प्रधान जिला न्यायाधीश का न्यायालय;
   (2) जिला न्यायाधीश का न्यायालय;
   (3) सिविल जज (वरीय कोटि) का न्यायालय;
   (4) सिविल जज (कनीय कोटि) का न्यायालय;

3. **अधिनियम, 12, 1887 की विभिन्न धाराओं में शब्द "जिला न्यायाधीश" का प्रतिस्थापन ।** - उक्त अधिनियम की धाराओं 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 36 एवं 39 में शब्द "जिला न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "प्रधान जिला न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. **अधिनियम, 12, 1887 की विभिन्न धाराओं में शब्द "अपर जिला न्यायाधीश" का प्रतिस्थापन ।-** उक्त अधिनियम की धाराओं 6, 8, 10, 20 एवं 21 में शब्द "अपर जिला न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

5. **अधिनियम, 12, 1887 की विभिन्न धाराओं में शब्द "अवर न्यायाधीश" का प्रतिस्थापन ।** - उक्त अधिनियम की धाराओं 4, 6, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 36 में शब्द "अवर न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "सिविल जज (वरीय कोटि)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

6. **अधिनियम, 12, 1887 की विभिन्न धाराओं में शब्द "मुसिंफ" का प्रतिस्थापन ।** - उक्त अधिनियम की धाराओं 4, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 36 में शब्द "मुसिंफ" के स्थान पर शब्द "सिविल जज (कनीय कोटि)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

यह विधेयक बंगाल, आगरा तथा आसाम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2007 दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 44--50--28-12-2007--शनि मुण्डा ।